न्यायालय सहायक कलक्टर(फा0ट्रे0), मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (आर.ए.एस)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
13/2021	10.02.2021	17.11.2022

//उनवान//

1 मुकेश कुमार पुत्र गोरधन जाति जाट निवासी टीकला तह0 बावल जिला रेवाडी, हरि0

:– वादी

बनाम

1 राज्य सरकार जरिये भूमिधारी श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

:– प्रतिवादी

2 करणसिंह

3 भूपसिंह

4 जगतसिंह

5 ईश्वरसिंह पुत्रान गोरधन जाति जाट निवासी टीकला तह0 बावल जिला रेवाडी, हरि0।

:– तर0 प्रतिवादीगण

दावा – इश्तकरारहक मय दूरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड

उपस्थितिः– श्री मदनलाल सांवरिया – वकील वादी

निर्णय **दिनांक– 17.11.2022**

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील वादी उपस्थित आये। वादीगण के वाद का सारतः रहा कि हाल आराजी ख0नं0 1184/348/2.02 है0 वाके ग्राम शीलगांव तहसील मुण्डावर अलवर, राज0 में स्थित होकर खसरा नम्बर 348 मिन रकबा 8 बीघा से उक्त हाल खसरा नम्बर पैमूद हुये हैं जो गुरुमुखसिंह पुत्र चान्दीसिंह जाति रायसिख निवासी शीलगांव के कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी रही है। आराजी मुतनाजा वादी एवं तर0 प्रतिवादीगण की दिनांक 06.06.1994 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा बाकब्जा एवं बएवज प्रतिफल खरीदशुदा आराजी है। बैयनामा के आधार पर क्रेतागण के नाम इन्तकाल दर्ज हो गया है मौके पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं व आराजी बाबत मौके पर कोई विवाद नहीं है। आराजी मुतनाजा के बैयनामा दिनांक 06.06.1994 को डीड राईटर ने वादी का नाम मुकेश के स्थान पर भूलवश शीशराम पुत्र गोरधन लिख दिया इसलिए इन्तकाल भी शीशराम के नाम से दर्ज हो गया जो गलत इन्द्राज है। वादी के सिवाय शीशराम नाम का व्यक्ति गोरधन पुत्र कन्हैया के अन्य कोई वारिस नहीं है। गोरधन के वादी मुकेश एवं तर0 प्रतिवादी ही पुत्र है। इनके सिवाय शीशरांम नाम का अन्य कोई लड़का जीवित या मृत वारिस नहीं है। मिनवादी का नाम अन्य समस्त पहचान के दस्तावेजात में मुकेश दर्ज है जिस कारण मिनवादी को काफी परेशानी हो रही है एवं वादी अपनी खरीदशुदा आराजी में नाम गलत इन्द्राज होने से सुविधाजनक तरीके से उपयोग उपभोग करने से महरूम हो रहा है आदि–आदि अंकित करते हुये विवादित आराजीयात के बाबत राजस्व रिकॉर्ड में अंकित वादी का नाम शीशराम पुत्र गोरधन को हजफ किया जाकर मुकेश पुत्र गोरधन दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे का निवेदन रहा।

सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर) राज0

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी प्रतिवादी सं0 1 की ओर से पैरोकार सरकार ने जिम्मनवाद वादी स्वयं सिद्ध करे अंकित करते हुये पेश किया जो शामिल पत्रावली है एवं तर0 प्रतिवादीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत

आकर इकबाल जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली है एवं मुताबिक इकबाल जवाब वादपत्र के जिम्मनों को स्वीकार करते हुये वादी के वाद को चाही गई रिलीफ के अनुसार डिक्री फरमाया दिया जावे हमें कोई एतराज नहीं है।

वादी ने अपने वादपत्र की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप बैयनामा दिनांक 06.06.1994 प्रदर्श–1, नकल इन्तकाल सं0 742 प्रदर्श–2, नकल जमाबंदी सम्वत् 2072–75 प्रदर्श–3 एवं स्थानान्तरण प्रमाण पत्र के साथ–साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, परिवार राशन की छाया प्रतियां पेश की है जो शामिल पत्रावली है एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र मुकेश कुमार पीडब्ल्यू–1 पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादी ने प्रकरण के बाबत लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली है। मुताबिक लिखित बहस वकील वादी ने वादपत्र के जिम्मनों को दौहराते हुये अंकित किया है कि गोरधन के वादी मुकेश एवं तर0 प्रतिवादीगण ही पुत्र है इनके अलावा शीशराम नाम का अन्य कोई लड़का जीवित या मृत वारिस नहीं है वादी के समस्त पहचान के दस्तावेजात में मुकेश नाम दर्ज है परन्तु उक्त विवादित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में मुताबिक बैयनामा मुकेश के स्थान पर शीशराम दर्ज चला आ रहा है जिसकी वजह से वादी की खरीदशुदा आराजी का समुचित तरीके से उपयोग उपभोग करने में वादी को भारी परेशानी हो रही है जिस हेतु वादी ने वादपत्र की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप बैयनामा दिनांक 06.06.1994 प्रदर्श–1, नकल इन्तकाल सं0 742 प्रदर्श–2, नकल जमाबंदी सम्वत् 2072–75 प्रदर्श–3 एवं स्थानान्तरण प्रमाण पत्र के साथ–साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, परिवार राशन की छाया प्रतियां साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र मुकेश कुमार पीडब्ल्यू–1 पेश किये हैं जो शामिल पत्रावली है। इस प्रकार से वादी ने अपने वादपत्र को सुसंगत दस्तावेजात से साबित कर दिया है अंकित करते हुये वाद वादी डिक्री किया जाकर वादी का राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नाम शीशराम को हजफ कर उसके स्थान पर मुकेश कुमार दर्ज किये जाने का निवेदन रहा।

वकील वादी की प्रस्तुत लिखित बहस एवं पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के गहनता से अवलोकन उपरांत वादी द्वारा अपने वादपत्र को सुसंगत दस्तावेजात से साबित कर दिये जाने की स्थिति में यह न्यायालय वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वादी के हाल आराजी ख0नं0 1184/348/2.02 है0 वाके ग्राम शीलगांव तहसील मुण्डावर अलवर, राज0 बाबत के वाद को डिक्री किया जाता है एवं हाल राजस्व रिकॉर्ड में विवादित आराजीयात के बाबत अंकित वादी के नाम शीशराम पुत्र गोरधन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं उसके स्थान पर मुकेश पुत्र गोरधन दर्ज रिकॉर्ड किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक **17.11.2022** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

17-11-2022

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)

(पंकज बड़गूजर)
न्यायालय सहायक कलक्टर(फा0ट्रै0)
मुण्डावर अलवर, राज0